



श्री प्रमोद सिपाही
दस्तावेज 2.4.14

R-1255-115/14

रामनरेश तनय इन्द्रभान प्रसाद उम्र-48 वर्ष पेशा-कृषि जिवला तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवां म.प्र.

निगरानीकर्ता

बनाम्

- 1- रमागोविन्द तनय हरप्रसाद तिवारी
 - 2- मुस. बेवा रामकली पत्नी आनन्दमणि तिवारी
 - 3- सतानन्द तनय आनन्दमणि तिवारी
 - 4- राजकुमार तनय आनन्दमणि तिवारी
 - 5- अजय कुमार तनय आनन्दमणि तिवारी
 - 6- सुनीता देवी पति वंशगोपाल तिवारी
 - 7- मनोज तिवारी तनय वंशगोपाल तिवारी
 - 8- पवन तिवारी तनय वंशगोपाल तिवारी
- सभी निवासी ग्राम जिवला तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवां म.प्र.

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 05/03/2014 अपील प्रकरण क्रमांक 20/अ-27/2012-13 समक्ष न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला-रीवां म.प्र.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

आवेदक/निगरानीकर्ता का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है।

- 1- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस तरह से है कि आवेदक/निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्ता एक ही वंश वृक्ष के पारिवारिक सदस्य है तथा पुश्तैनी भूमियों पर अपने-अपने हिस्से की कृषि भूमियों पर पुश्तैनी आधिपत्य प्राप्तकर मालिकाना हक प्राप्त किये हुये है।

3

R1255-III/14-सीवा

रामनेरेश / रामगोविन्द तिवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के नाम
25-4-17	<p>1- आवेदक व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं।</p> <p>2- भतावेदक व उसके अधिवक्ता सूचीत पत्रान्त उपस्थित नहीं हैं।</p> <p>3- अनुविभागीय अधिकारी का भीमलेख प्राप्त हो गया है। तारीखदार का अधिलेख अज्ञात है।</p> <p>4. प्रकारा आवेदक को अनुपरिवर्तन के कारण म.प्र. पू. राजलक्ष्मिता की धारा 35(2) के तहत अदम पेंसि में रवारीज किया जाता है।</p> <p>5. प्रकरण दापरा पंजी के कत हो कट अधिलेखीगट से दाखिल किया जाय</p> <p style="text-align: right;">रामनेरेश</p>	<p>अदम पेंसि में (10)</p>

h